न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 23 सन 2020
अनवान :–

1. राधा किशन पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 25/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 371 / 386 के खसरा न0 283 / 0.6070 ,284 / 4.5020 ,33 / 1.3780हैक ,78 / 1.8590हैक ,79 / 0.5570हैक कुल 8.9030हैक भूमि में प्रार्थी का 61 / 3070हिस्सा सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 72 / 65 के खसरा न0 132 / 2 की 2.0740हैक भूमि प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राधा कृष्णा एव कृष्णा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राधा किशन है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम राधा किशन दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 371 / 386 के खसरा न0 283 / 0.6070 ,284 / 4.5020 ,33 / 1.3780हैक ,78 / 1.8590हैक ,79 / 0.5570हैक कुल 8.9030हैक भूमि में प्रार्थी का 61 / 3070हिस्सा सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 72 / 65 के खसरा न0 132 / 2 की 2.0740हैक भूमि में प्रार्थी का नाम राधाकृष्ण , कृष्णा के स्थान पर राधा किशन संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 371 / 386 के खसरा न0 283 / 0.6070 ,284 / 4.5020 ,33 / 1.3780हैक ,78 / 1.8590हैक ,79 / 0.5570हैक कुल 8.9030हैक भूमि में प्रार्थी का 61 / 3070हिस्सा सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 72 / 72 के खसरा न0 132 / 2 की 2.0740हैक भूमि प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राधा कृष्णा एव कृष्णा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राधा किशन है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम राधा किशन दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 371 / 386 के खसरा न0 283 / 0.6070 ,284 / 4.5020 ,33 / 1.3780हैक ,78 / 1.8590हैक ,79 / 0.5570हैक कुल 8.9030हैक भूमि में प्रार्थी का 61 / 3070हिस्सा सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 72 / 65 के खसरा न0 132 / 2 की 2.0740हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम राधा कृष्ण , कृष्णा दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम राधा किशन पुत्र भीयाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में प्रार्थी का नाम राधा किशन दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज होना प्रतीत होता है प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में ग्रम पचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिससे प्रार्थी का नाम राधा किशन होना प्रतीत होता है साक्ष्यो के आधार पर प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 371 / 386 के खसरा न0 283 / 0.6070 ,284 / 4.5020 ,33 / 1.3780हैक ,78 / 1.8590हैक ,79 / 0.5570हैक कुल 8.9030हैक भूमि में प्रार्थी का 61 / 3070हिस्सा सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 72 / 72 के खसरा न0 132 / 2 की 2.0740हैक भूमि में प्रार्थी का नाम क्रमश राधा कृष्ण , कृष्ण पुत्र भीयाराम दर्ज है के स्थान पर राधा किशन उर्फ राधा कृष्ण पुत्र भीयाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/08/12 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 23 / 2020 अनवानी राधा किशन बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. राधा किशन पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 23 / 2020 अनवानी राधा किशन बनाम सरकार में दिनांक 25/08/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 371 / 386 के खसरा न0 283 / 0.6070 ,284 / 4.5020 ,33 / 1.3780हैक ,78 / 1.8590हैक ,79 / 0.5570हैक कुल 8.9030हैक भूमि में प्रार्थी का 61 / 3070हिस्सा सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 72 / 72 के खसरा न0 132 / 2 की 2.0740हैक भूमि में प्रार्थी का नाम क्रमश राधा कृष्ण , कृष्ण पुत्र भीयाराम दर्ज है के स्थान पर राधा किशन उर्फ राधा कृष्ण पुत्र भीयाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर